राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)डीपीसी / 2015–16 / अलेसे –III / 8176-77 दिनांक :– 28-05-2015.

सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार।

विषय :– कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर पदौन्नति के लिए डीपीसी की बैठक वर्ष 2015–16 हेतु बैच 1994 तक के कनिष्ठ लेखाकारों के बच्चों की सूचना प्रेषित करने के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र संख्या 8027–8028 दिनांक 06.05.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर पदौन्नति वर्ष 2015–16 के लिए विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक के आयोजन हेतु संतान संबंधी घोषणा पत्र दिनांक 15.05.2015 तक इस विभाग को भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। किन्तु अनेक कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा संतान संबंधी घोषणा पत्र विभाग में अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसके अभाव में डीपीसी का आयोजन संभव नहीं हो पा रहा है। अतः वर्ष 1994 बैच तक के उन कनिष्ठ लेखाकारों को, जिन्होंने संतान घोषणा पत्र अभी तक इस विभाग में प्रस्तुत नहीं किया है, पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बच्चों की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें। संतान संबंधी घोषणा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पदौन्नति पर विचार करना संभव नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की होगी।

(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)

क्रमांकः– एफ.4(ई)डीपीसी / 2015–16 / अलेसे –III / 8176-77 दिनांक :– 28-05-2015

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक, एसीपी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)